सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–30 / 2020 दायर दिनाँक 11.09.2020

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. लोडू खां उर्फ लोकु खां पुत्र पीर खां जाति देशवाली निवासी खुनखुना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. अजमल खां पुत्र स्व0 बोदु खां 2. मांगुडी पुत्री स्व0 बोदु खां 3. हुरा पत्नी स्व0 बोदु खां 4. कालु खां पुत्र जवार खां उर्फ जफरू खां 5. अनवर खां पुत्र ज्वार खां उर्फ जफरू खां 6. फरीद खां पुत्र पीर खां 7. गुलाब खां पुत्र पीर खां 8. फरीद खां पुत्र पीर खां 9. मंगलू खां पुत्र पीर खां 10. अजीत खां पुत्र पीर खां 11. नाना पत्नी पीर खां 12. युसुफ खां पुत्र दीन खां 13. यासीन खां पुत्र दीन खां समस्त जाति देशवाली निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 14. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री मो0 शरीफ शेरानी वकील प्रार्थी।
2. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील अप्रार्थी सं0 01, 04, 05।
3. श्री मो0 रफीक वकील अप्रार्थी सं0 07 ता 13

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **28.02.2022**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार [illegible] प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 07 ता 13 की संयुक्त [illegible] खसरा नं0 418 रकबा 01.90 हैक्टयर वाके सरहद खुनखुना [illegible] स्थित है। प्रार्थी के उक्त खेत में उसकी रहवासी ढाणी पक्के मकान बने हुए है जिसमें परिवार सहित रहवास कर रहे है। उक्त खसरा नम्बर 418 में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आने जाने हेतु कदीम से अप्रार्थी सं0 01 ता 06 के खेतों में से होकर आम सडक पर जाने हेतु उपयोग में लेते आ रहे है तथा प्रार्थी के आवागमन का एक मात्र रास्ता अप्रार्थी सं0 01 ता 06 के खेतों में से होकर आम सडक पर जाने के लिए सुलभ व नजदीक नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी से रास्ता दर्शाया हुआ है। जो अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 के खेत खसरा सं0 428 व 417 में से 20 फुट चौडाई का रास्ता, नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 02, 03 व 06 बावजुद तामील के अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 01, 04 व 05 की तरफ से वकील श्री महेन्द्र खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं0 07 ता 13 की तरफ से वकील श्री मो0 रफीक ने वकालतनामा व इकबालियां जवाब पेश किया।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 537 दिनांक 20.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त रिपोर्ट बिन्दुवार रिपोर्ट नहीं होने के कारण पुनः तहसीलदार से बिन्दुवार रिपोर्ट भिजवाने बाबत लिखा गया। पुनः तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 538 दिनांक 02.08.2021 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट पर वकील अप्रार्थी सं0 01, 04, 05 ने आपत्ति पेश की। वकील अप्रार्थी की आपत्ति को स्वीकार कर पुनः उभयपक्ष की उपस्थिति में रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार डीडवाना को लिखा गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 112 दिनांक 01.02.2022 के द्वारा पुनः स्पष्ट रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 418 में आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को कटाणी रास्ता की आवश्यकता है। खसरा सं0 418 में आने जाने हेतु नजदीक रास्ता खसरा सं0 428, 417 में से दिया जाना उचित है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार डीडवाना की उक्त पत्रावली में तीन मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा प्रार्थी को रास्ते [illegible] आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु कोई कट[illegible] रास्ता नहीं लगता है। अतः तहसीलदार डीडवाना [illegible] अनुसार [illegible] डी रास्ता घोषित करावें।

वकील अप्रार्थी ने उक्त मौका रिपोर्ट [illegible] आपत्ति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बहस के तर्कों पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.02.2022 व दिनांक 02.08.2021 दोनों मौका रिपोर्ट समान है तथा प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु इससे नजदीक कोई रास्ता नहीं लगता है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थी के खेत खसरा न. 418 आने–जाने हेतु खसरा सं0 428 व 417 में से तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पत्रांक 112 दिनांक 01.02.2022 में दर्शित मार्क ए बी सी डी प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 418 वाकै सरहद खुनखुना में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2022/112 दिनाँक 01.02.2022 में दर्शित भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 428 व 417 वाके सरहद खुनखुना में दर्शित मार्क A B C D में खसरा सं0 428 में से 741 वर्गमीटर व खसरा सं0 417 में से 939 वर्गमीटर भूमि रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2022/112 दिनाँक 01.02.2022 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **28.02.2022** को इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner